

टाप शीट

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/48

लागू करने की तिथि 19.10.2012

बहेड़ी- लालकुआँ स्टेशन के समपार फाटको की सं० एवं किमी० में परिवर्तन किये जाने के कारण देवरनियों स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/48 दिनांक 02.4.2012 की संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 17.10.2012

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

समान्य भाग-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 संशोधित ।
2. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.6 संशोधित ।
3. पृष्ठ संख्या 8 पैरा 4.1.1.14(क) संशोधित ।
4. पृष्ठ संख्या 9 पैरा 4.1.1.14(ख) संशोधित ।
5. पृष्ठ संख्या 10 पैरा 5 संशोधित ।
6. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 6 (1) (घ) संशोधित ।
7. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 6.2 (घ) एवं पैरा 6.3 (ङ) संशोधित ।
8. पृष्ठ संख्या 14 पैरा 6.5 संशोधित ।
9. पृष्ठ संख्या 15 पैरा 6.6 (1 एवं 2) संशोधित ।
10. पृष्ठ संख्या 16 पैरा 6.6 (2) (ग एवं घ) हटाया गया ।
11. पृष्ठ संख्या 19 पैरा 7 संशोधित ।

परिशिष्ट क- सभी पृष्ठ बदले गये ।

परिशिष्ट क. I- सभी पृष्ठ बदले गये ।

परिशिष्ट क. II- सभी पृष्ठ बदले गये ।

परिशिष्ट ख-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1.1 एवं 1.2 संशोधित ।
2. पृष्ठ संख्या 6 पैरा 4.3.12 (क) संशोधित ।
3. पृष्ठ संख्या 7 पैरा 4.3.12 (ख) संशोधित ।
4. पृष्ठ संख्या 14 पैरा 10 संशोधित ।
5. पृष्ठ संख्या 15 पैरा 11 (1) (2) (3) संशोधित ।
6. पृष्ठ संख्या 16 पैरा 11 (6) (7) (10) संशोधित ।
7. आर०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/निर्माण/आईजेडएन/2011/आर०डी०/07 दिनांक 16.9.2011 संशोधन 'ए' दिनांक 21.2.2012 को आर०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/निर्माण/आईजेडएन/2011/आर०डी०/07 दिनांक 16.9.2011 संशोधन "बी" दिनांक 18.9.12 द्वारा बदला गया ।
7. पी०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/निर्माण/आईजेडएन/2011/पी०डी०/08 दिनांक 16.9.2011 संशोधन "ए" दिनांक 21.2.12 को पी०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/निर्माण/आईजेडएन/2011/पी०डी०/08 दिनांक 16.9.2011 संशोधन "बी" दिनांक 18.9.12 द्वारा बदला गया ।

(आर०पी०मिश्रा)
मं०सि०दूर्ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मं०सि०दूर्ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है।

संख्या-इज्जतनगर/48

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर मण्डल

**देवरनियां स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी लाइन)**

जारी तिथि: 17.10.12

लागू तिथि :19.10.12

पुनरीक्षण तिथि:Oct-2017

बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, पैनल अन्तर्पाशित, मानक-III,
बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/48 दिनांक 18.06.2009 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

मु०सि०दू०ई०/निर्माण/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी०संख्या NER/ IZN/DRN /SIP / 2011/VER-ZERO/3 संशोधन “B” पर आधारित इस स्टेशन का नियम आरेख संख्या उपमुसिदूई/निर्माण/इज्जतनगर/2011(आर०डी०)/07 दिनांक 16.9.2011 संशोधन “बी” दिनांक 18.9.2012 संलग्न है, जिसमें कौटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कौटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

देवरनिया स्टेशन बरेली जं०-लालकुआ मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर “बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन बरेली जं० से 34.19 किमी० तथा लालकुआ जं० से 49.89 किमी०की दूरी पर स्थित है

2.2. दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें

2.2.1 ब्लॉक स्टेशन -

भोजीपुरा (पूर्व दिशा में)	14.88 किमी० की दूरी पर स्थित है।
बहेड़ी (पश्चिम दिशा में)	16.90 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.2.2 नान ब्लॉक स्टेशन -

आटामाण्डा हॉल्ट (पूर्व दिशा में)	7.24 किमी० की दूरी पर स्थित है।
रिछा रोड हॉल्ट (पश्चिम दिशा में)	9.66 किमी० की दूरी पर स्थित है।

(आर०पी०मिश्रा) (अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

2.2.3 आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

2.2.4 बाहरी साइडिंगें :- कोई नहीं।

2.3. स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड :

स्टेशनो के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है।
देवरनिया - भोजीपुरा	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस०-11	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस०-2 (भोजीपुरा)
देवरनिया - बहेड़ी	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस०-2	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 (बहेड़ी)

2.4 ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो : कोई ढलान नहीं है।

2.5 अभिन्यास (ले-आउट): अभिन्यास तीन लाइनो का है। लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 परिचालित लाइने है।

2.5.1. परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

(क)

रनिंग लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	विवरण
लाइन संख्या-1	747 मीटर	लूप लाइन मध्य तल यात्री प्लेटफार्म के साथ अप एवं डाउन दिशा में सैण्ड हम्प प्रदत्त है।
लाइन संख्या-2	720 मीटर	मेन लाइन
लाइन संख्या-3	747 मीटर	लूप लाइन रेल तल यात्री प्लेटफार्म के साथ अप एवं डाउन दिशा में स्नैग डेड एण्ड प्रदत्त है।

(ख) परिचालित लाइन संख्या-2 सीधी लाइन है। परिचालित लाइन संख्या 1,2 एवं 3 रेलपथ परिपथ युक्त (ट्रैक सर्किटेड) है। रेलपथ परिपथ अप होम सिगनल से आगे 5 रेल तक तथा डाउन होम सिगनल के आगे पाँच रेल तक दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (Occupied) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल तथा सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2. अपरिचालित लाइने एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

अपरिचालित लाइन नहीं है।

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में असामान्य बातें : कुछ नहीं।

(आर०पी०मिश्रा)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

2.6. **समपार फाटक** : स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

गेट संख्या	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्त-र्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक							
14	सी	कांटा संख्या 201 ए एवं शंट सिगनल संख्या एसएच-31 के मध्य किमी० 15/3-4 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिये खुला।	कार्यरत फाटकवाला	अन्तर्पाशित	कार्यरत स्टेशन मास्टर से दूरभाष	-
इंजीनियरिंग समपार फाटक							
9	ए	देवरनिया एवं भोजीपुरा स्टेशनो के मध्य किमी० 10/1-2	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	अन्तर्पाशित	कार्यरत स्टेशन मास्टर से दूरभाष	-
10	सी	देवरनिया एवं भोजीपुरा स्टेशनों के मध्य किमी० 10/4-5	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर से दूरभाष	नहीं
12	सी	अप डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए-12 एवं अप होम सिगनल संख्या एस-12 के मध्य किमी० 13/0-1	सड़क यातायात के लिये खुला	मानव रहित	मानव रहित	मानव रहित	-
13	सी	अप डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए-12 एवं अप होम सिगनल संख्या एस-12 के मध्य किमी० 13/9-14/0	सड़क यातायात के लिये खुला	मानव रहित	मानव रहित	मानव रहित	-
15	सी	डाउन डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए-1 एवं डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के मध्य किमी० 16/7-8	सड़क यातायात के लिये खुला	मानव रहित	मानव रहित	मानव रहित	-

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत परिशिष्ट “क” तथा ‘क-II’ देखें।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन** : अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनो भोजीपुरा तथा बहेड़ी से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है-

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन हैण्डल वाला टोकनलैस ब्लाक यन्त्र (डायडो टाइप) दूरभाष युक्त एकसल काउन्टर के साथ बहेड़ी तथा भोजीपुरा स्टेशनों के साथ समान प्रकार के ब्लाक यन्त्र से पृथक-पृथक सम्बद्ध।	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

(विशेष रूप से सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.07 तक, 14.08(ख) (iv), 14.11, 14.12 (i),(ii),(v) एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नही अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है ।

(सहायक नियम 14.02 (V) एवं सामान्य नियम 14.03 एवं सहायक नियम 14.04 देखें)

4. **संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :**

देवरनिया स्टेशन अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ परिचालित लाइन संख्या एक, दो व तीन पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है।

प्रदत्त सिगनल :

(क) **अप आगमन सिगनल (भोजीपुरा से)**

i) अप डिस्टेन्ट सिगनल ए-12

ii) अप होम सिगनल संख्या एस-12 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) मुख्य सीधी लाइन संख्या 2 के लिए

iii) अप होम सिगनल संख्या एस-12 (बायां जंक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 1 के लिए

iv) अप होम सिगनल संख्या एस-12 (दाहिना जंक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 3 के लिए

(ख) **अप प्रस्थान सिगनल (बहेड़ी को)**

i) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-4 मेन लाइन संख्या-2 से

ii) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-6 लूप लाइन संख्या-1 से

iii) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-8 लूप लाइन संख्या-3 से

iv) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 टोकेन लैस ब्लाक यंत्र के ट्रेन गोइंग टू स्थिति से नियंत्रित।

(ग) **अप कालिंग आन सिगनल संख्या - सी-10 :**

अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।

(घ) **शंट सिगनल :**

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-32 कांटा संख्या 204ए के बाहर स्वतंत्र खम्बे पर प्रदत्त है।	भोजीपुरा छोर से लाइन संख्या 1,2 एवं 3 में वापस आने के लिये है
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-26 अप प्रधान सिगनल संख्या एस-6 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से बहेड़ी छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-24 अप प्रधान सिगनल संख्या एस-4 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से बहेड़ी छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-28 अप प्रधान सिगनल संख्या एस-8 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 3 से बहेड़ी छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

(इ) **डाउन आगमन सिगनल (बहेड़ी से)**

- i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल ए-1
- ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) मुख्य सीधी लाइन संख्या 2 के लिए
- iii) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 (बांया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 1 के लिए
- iv) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 (दाहिना जंक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 3 के लिए

(च) **डाउन आगमन सिगनल (भोजीपुरा को)**

- i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 लाइन संख्या 1 से ।
- ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 लाइन संख्या 2 से ।
- iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-9 लाइन संख्या 3 से ।
- iv) डाउन एडवांस स्टार्टर सिगनल संख्या एस-11 टोकेन लैस ब्लॉक यंत्र की ट्रेन गोइंग टू स्थिति से नियंत्रित ।

(छ) **डाउन कालिंग आन सिगनल संख्या - सी-3 :**

डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।

(घ) **शंट सिगनल :**

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-31 कांटा संख्या 201ए के बाहर स्वतंत्र खम्बे पर प्रदत्त है।	बहेड़ी छोर से लाइन संख्या 1,2 एवं 3 में वापस आने के लिये है
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-25 अप प्रथान सिगनल संख्या एस-5 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से भोजीपुरा छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-27 अप प्रथान सिगनल संख्या एस-7 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से भोजीपुरा छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-29 अप प्रथान सिगनल संख्या एस-9 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 3 से भोजीपुरा छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।

(झ) **पुरनावर्तक (रिपीटर) :** कोई नहीं ।

4.1.(क) सभी काँटों एवं सिगनल एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते है जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते है। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं सिगनलों के प्रचालन हेतु रूट बटन एवं सिगनल बटन प्रदत्त है।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।

(ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पँक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन इंडिकेटर दिये गये है। जँक्शन इंडिकेटर सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नही करेगा। एक पँक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ डाइवर्जिंग रूट इंगित करेगीं।

(घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल टोकेनलैस ब्लॉक यंत्र की "ट्रेन गोइंग टू" स्थिति से नियन्त्रित है।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

- (ङ) स्टेशन मास्टर, कॉटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को पाशित करती है, के द्वारा पैनल पर नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, तब यह विद्युतीय रूप से कॉटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की नियन्त्रण चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी०जी०एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।
- (च) स्टेशन मास्टर आफ किये गये सिगनल को आन करने के बाद रूट निरस्तीकरण के लिए (EUYN) बटन के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित 120 सेकेन्ड के बाद रूट निरस्त हो जाता है और कांटे संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।
- (छ) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

4. स्टेशन मास्टर पैनल :-

स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल का प्रावधान है जिसमें पुश बटनों द्वारा मोटर कॉटों एवं सिगनल आदि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियन्त्रण किया जाता है। इनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। कॉटों एवं सिगनलों के संचालन हेतु पैनल पर एक साथ दो पुश बटनों को दबाना आवश्यक है। पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडिकेशन चाबी आदि का विवरण निम्न है :-

4.1 स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कांटो एवं सिगनलो आदि का अनाधिकृत संचालन को रोकने हेतु पैनल पर चाबी लगी रहती है जब तक चाबी पैनल से निकली रहेगी उस समय तक कांटो, सिगनलो आदि के संचालन का विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा। चाबी लगाकर घुमा देने के पश्चात पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल कन्ट्रोल चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो, या पैनल में लगी हो, सभी ट्रैक सर्किट, कॉटों एवं सिगनलों के आस्पैक्ट आदि का इंडिकेशन अन्तिम संचालित स्थिति में अनवरत प्रकाशित होंगे। स्टेशन मास्टर चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा आपातकालीन दशा में सिगनल बटन व EGGN बटन एक साथ दबाकर आफ किये गये सिगनलो को आन कर सकता है।

4.2 स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज चाबी :-

पैनल पर एक स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज चाबी का प्रावधान है। जब किसी कारण वश रूट रिलीज नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा पैनल पर इस चाबी को लगाने के पश्चात सिगनल बटन एवं EUUYN बटन को एक साथ दबाने पर रूट 120 सेकेन्ड पश्चात रिलीज हो जाता है तथा रूट के कॉटों संचालन के लिये मुक्त हो जाते हैं।

4.3 पुश बटन :- स्टेशन मास्टर पैनल पर निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है -

(आर०पी०मिश्रा)	(अतुल सिंह)	(के०एस०सोनाल)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ	मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर	मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

4.3.1 सिगनल बटन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल / शन्ट सिगनल के निकट लगा है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को आफ करना है उस सिगनल का सिगनल बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी लेना / भेजना है उस लाइन पर स्थित रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.3.2 रूट बटन :-

पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल आफ किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन संख्या 1 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल संख्या एस 12 को आफ करने के लिये सिगनल बटन संख्या एस 12 तथा लाइन संख्या 1 पर स्थित रूट बटन संख्या 'बी' को एक साथ दबाने पर रूट सैट हो जायेगा और सिगनल आफ हो जायेगा। इसी प्रकार अप एडवॉस स्टार्टर सिगनल संख्या एस 2 को आफ करने के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद सिगनल बटन संख्या एस 2 तथा रूट बटन संख्या 'ई' को एक साथ दबाने पर अप एडवॉस स्टार्टर सिगनल संख्या एस 2 आफ हो जायेगा।

4.3.3 काँटा बटन :-

पैनल के दोनों सिरों पर काँटों के संचालन के लिये प्रत्येक काँटों के लिये उसका पुश बटन दिया गया है। काँटों को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस काँटों का बटन तथा साथ में NWWN पुश बटन दबाना होगा इसी प्रकार काँटों को रिवर्स स्थिति में करने के लिये उस काँटों का बटन तथा RWWN पुश बटन दबाने से कांटा रिवर्स स्थिति में संचालित हो जायेगा। काँटों का अलग-अलग संचालन केवल गाड़ियों के आगमन के पश्चात रूट को रिवर्स करने व गाड़ियों को कालिंग आन सिगनल पर रिसीव करने के लिए किया जायेगा। बाकी सभी सिगनलों के लिए बटन तथा रूट बटन दबाने से रूट सैट हो जायेगा।

4.3.4 एन0डब्लू0डब्लू0एन0 / आर0डब्लू0डब्लू0 एन0 बटन :-

काँटों को अलग-अलग सैट करने हेतु काँटे / क्रास ओवर का बटन तथा NWWN / RWWN बटन एक साथ दबाने पर काँटा/क्रास ओवर नार्मल/रिवर्स स्थिति के लिये संचालित हो जाता है।

4.3.5 कैन्क हैण्डिल एवं समपार फाटक नियन्त्रण बटन एल0एन0 / वाई0 एन0 :-

कैन्क हैण्डिल सीएच-1, सी एच-2 तथा समपार फाटक संख्या 11/सी के नियन्त्रण हेतु अलग-अलग एल एन / वाई एन बटनों का प्रावधान है। एल एन बटन द्वारा कैन्क हैण्डिल / समपार फाटक लाक तथा वाई एन बटन द्वारा रिलीज होता है।

4.3.6 ई0जी0 जी0 एन0 बटन :-

आफ किये गये सिगनलों को आफ से आन करने हेतु ई0जी0जी0एन0 बटन को सिगनल बटन के साथ दबाने पर सिगनल आफ स्थिति से आन स्थिति में हो जाता है।

4.3.7 जी0बी0 एन0 बटन :-

यह ग्रुप बटन है जिसका उपयोग कैन्क हैण्डिल एवं समपार नियन्त्रण हेतु प्रदत्त एल एन / वाई एन बटन को एक साथ दबाने में किया जाता है।

4.3.8 ई0 यू0 वाई0 एन0 (रूट निरस्तीकरण) बटन :-

आफ किये गये सिगनलों को आन करने के बाद रूट निरस्तीकरण के लिये ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन के साथ सिगनल बटन को दबाने पर 120 सेकेण्ड बाद रूट निरस्त हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।

4.3.9 ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन (आपात कालीन रूट रिलीज बटन) :-

यह एक सील बन्द बटन है। यदि किसी कारण वश रूट रिलीज नहीं होता है तब पैनल पर आपातकालीन रूट रिलीज चाबी लगाने के बाद EUUYN बटन एवं सिगनल बटन को एक साथ दबाने पर रूट 120 सेकेण्ड बाद रिलीज हो जाता है। रूट रिलीज करने के बाद इसकी सूचना तत्काल विद्युत सिगनल अनुरक्षण को दी जायेगी सूचना मिलने पर इस बटन को पुनः ई0एस0एम0 द्वारा सील कर दिया जायेगा। इस बटन का प्रयोग करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है एवं इसकी प्रविष्टि इस उद्देश्य के लिये बनायी गयी पंजिका में अवश्य करनी चाहिए। स्टेशन मास्टर स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाँच करें कि ट्रैक साफ है या नहीं।

4.3.10 जी0/यू0/डब्लू0/जी0/आर0 अभिस्वीकृति बटन :-

पैनल पर यदि कोई कॉटा बटन, सिगनल बटन, रूट बटन या ग्रुप बटन दबा रह जाता है तब एक चेतावनी घन्टी बजने लगती है। चेतावनी घन्टी को बन्द करने हेतु इस बटन को दबाया जायेगा।

4.3.10 ई0डब्लू0एन0 बटन :-

यह एक सील बन्द बटन है। पैनल पर पाइन्ट पोर्शन कोई ट्रैक कॉटों की नार्मल या रिवर्स स्थिति में किसी कारणवश यदि लाल इंडिकेशन प्रदर्शित करता है तो इस स्थिति में प्वाइंट को संचालित करने के लिये इस EWN बटन के साथ **NWWN / RWWN** बटन को दबाने के पश्चात EWN बटन को छोड़कर NWWN/RWWN दबाये रखते हुए सम्बन्धित कॉटों के बटन को दबाकर कॉटे को नार्मल / रिवर्स स्थिति में किया जा सकता है। इस बटन का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्टेशन मास्टर सम्बन्धित पाइन्ट जोन की व्यक्तिगत रूप से जाँच करे कि ट्रैक साफ है कि नहीं। यदि ट्रैक साफ है तो तभी इस बटन का प्रयोग किया जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि इस कार्य के लिये बनायी गयी पंजिका में की जायेगी।

4.3.12 गेट नियंत्रण बटन 551 गेट संख्या 14 के लिए :-

(क) पैनल पर समपार फाटको के नियंत्रण के लिए वाई0एन0 तथा एलएन बटनों का प्रावधान है। गेट खोलने के लिए वाई0एन0 एवं जी0बी0एन0 बटन एक साथ दबाने से पैनल पर रिलीज की लाल बतती जल जायेगी एवं गेट पर लगे लीवर लगे लीवर लाक में फ्री बत्ती जल जायेगी एवं नियंत्रण चाबी लीवर लाक से निकालकर गेट खोल दिया जायेगा। गेट बंद करने के बाद फिर नियंत्रण चाबी लीवर लाक में लगा दी जायेगी एवं पैनल पर लगे बटन एल0एन0 तथा जी0बी0एन0 बटन एक साथ दबाने से गेट नियंत्रण चाबी लीवर लाक में लाक हो जायेगी ताा पैनल पर लाक का सफेद इंडिकेशन जल जायेगा।

(आर०पी०मिश्रा)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

(ख) **समपार संख्या 14 के लिये आपात कालीन चाबी :-**

समपार संख्या 14 पर विद्युतीय नियंत्रण की विफलता के समय समपार को खोलने के लिए आपात कालीन चाबी पीई का प्रावधान है। ये चाबी स्टेशन मास्टर कार्यालय (पैनल रूम) में लगे सील्ड एवं ताला बन्द केस में लगी पार्किंग एच0के0टी0 में लगी रहती है। आपातकालीन चाबी बूम लाक लीवर को रिलीज करने के लिए परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा गेट पर भेजी जाती है। इस चाबी के निकालने से आगमन सिगनल आन स्थिति में रहते हैं। विफलता ठीक होने पर पुनः पार्किंग एच0के0टी0 में लगा दी जाती है तथा ग्लास केस सील्ड एवं ताला बंद कर दिया जाता है।

4.4 **रेलपथ परिपथ:-**

परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 रेलपथ परिपथ युक्त है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर सम्बन्धित लाइन के रेल पथ परिपथ भाग के अतिरिक्त मोटी रंगी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब रेलपथ परिपथ भाग आक्यूपाइड/विफल हसेता है तब पैनल पर इस भाग पर सुम लाल प्रकाश जलेगा। इन रेल पथ परिपथों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है रेल रिपथ की विफलता की स्थिति में इसे आक्यूपाइड मानकर स्टेशन मास्टर द्वारा रेलपथ परिपथ रिक्त होने का सुनिश्चय भौतिक सत्यापन द्वारा करना अनिवार्य है।

6. **रिमाइन्डर कालर :-**

पैनल के ऊपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल रंग के रिमाइन्डर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार सिगनल या कॉटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकता। इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इन बटनों को संचालित नहीं करना है।

4.3 **स्थायीय से तालाबन्द कांटे/पृथक्कीकरण (आइसोलेशन) :** कोई नहीं

4.3 **विद्युत चालित कॉटा मशीन/ क्रेन्क हैण्डिल :**

(क) मोटर संचालित कांटो की विफलता की स्थिति में अथवा टेस्टिंग हेतु क्रेन्क हैण्डिल द्वारा कांटो का संचालन किया जाता है। स्टेशन पर दो क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाबी सी०एच-1 एवं सी०एच०-2 का प्रावधान है। स्टेशन मास्टर द्वारा क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाबी निकालने की पद्धति निम्नवत है-

- (i) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल चाबी का वाई0 एन0 एवं जी0 बी0 एन0 बटन एक साथ दबायेंगे।
- (ii) विद्युत कॉटा मशीन को आपात कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्तें पूरी होती हैं तो पैनल पर क्रेन्क हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी। तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रण चाबी को धीरे से घुमाकर निकाल लेंगे।
- (iii) इस परिशिष्ट के मद संख्या 7 में वर्णित विधि से कॉटों का संचालन किया जायेगा तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाबी को पुनः क्रेन्क हैण्डिल लाक में लगाकर पूर्ववत स्थिति में घुमा दिया जाय।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाबी का एल0 एन0 एवं जी0 बी0 एन0 बटन एक साथ दबाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाबी लाक हो जायेगी तथा क्रेन्क हैण्डिल के एल0 एन0 बटन के ऊपर क्रेन्क हैण्डिल चाबी लाक होने का सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

7.2 **क्रैक हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटों का विवरण निम्न प्रकार है –**

क्रैक हैण्डिल चाबी संख्या	उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटे
सी० एच० 1	201 ए -/201 बी , 202 ए - 202 बी
सी० एच० 2	203 ए – 203 बी, 204 ए -204बी

- ख) प्रत्येक समय जब क्रैक हैण्डिल चाबी द्वारा परिचालित कॉटों को हाथ से प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम संख्या	क्रैक हैण्डिलचाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैक हैण्डिल चाबी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैक हैण्डिल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता/परीक्षण	क्रैक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैक हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.4 **रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दधि :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.3 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)**

विद्युत विफलता की स्थिति में सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये आई०पी०एस० की व्यवस्था की गयी है। आपूर्ति के साधन, लोकल पावर सप्लाई (राज्य विद्युत बोर्ड), डीजल जनरेटर की सप्लाई है। (विस्तृत विवरण पैरा 9.4 में देखें)

5. **दूर संचार :-** स्टेशन मास्टर देवरनिया के कार्यालय में :-

- इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- देवरनिया तथा भोजीपुरा स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यंत्र से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- देवरनिया तथा बहेड़ी स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यंत्र से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- ट्रैफिक समपार फाटक सं० 14/सी से सम्बन्ध मैगनेटो टेलीफोन
- इंजी०समापार 10/सी (देवरनिया-भोजीपुरा) के मध्य स्थित के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- इंजी०समापार 9 /ए (देवरनिया-भोजीपुरा) के मध्य स्थित के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- वी०एच०एफ० सैट 25 वाट।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

6. **गाड़ी संचलन की कार्य प्रणाली :**

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 3.45, 3.47, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

(1) **गाड़ियों का आगमन :**

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर गाड़ियों का आगमन होना हो तो स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क) जाँचें कि वांछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटेड भाग के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
(ख) सुनिश्चित करें कि वांछित लाइन जिस पर आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित है।

लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए :-

i) **अप गाड़ियों के लिए:-**

- (अ) लाइन संख्या 1 या 3 पर आगमन के लिए सैण्ड हम्प /स्नैग डेड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक
(ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक

ii) **डाउन गाड़ियों के लिए:-**

- (अ) लाइन संख्या 1 या 3 पर आगमन के लिए सैण्ड हम्प /स्नैग डेड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक
(ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक

- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगाये और इसे ताला खोलने के लिए घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
(घ) सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी के लाइन संख्या 1, 2 व 3 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय ट्रैफिक समपार संख्या 14 तथा डाउन गाड़ी के लिए लाइन संख्या 1,2 या 3 पर आगमन के लिए ट्रैफिक समपार संख्या 14 को बन्द एवं लाक कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन संख्या 551 दबा दिया गया है जिससे गेट संख्या 14 के बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगा।
(ङ) आने वाली गाड़ी के लिए वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिए स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
(च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेंगी।
(ज) स्टेशन पैनल पर देख ले कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख ले कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिए आगमन सिगनलों को आफ होने का सूचक है।
(झ) स्टेशन पैनल पर देख ले कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल आन स्थिति में हो गये हैं।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

- (ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बलियां बुझकर लाल बलियां जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बलियां बुझ जाती हैं और सफेद बलियां फिर जल जाती हैं।
- (ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद पीछे के कांटों को निर्धारित समय के अन्दर अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। गाड़ियों की क्रासिंग की दशा में दोनों ओर के कांटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। संचलन समाप्त होने के पश्चात कांटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

(ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटों को सेट करने के लिये सा० एवं स० नि 5.19 देखें)

6.1. **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-**

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, काँटावाला एवं गेटमैन के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1. **प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी :**

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 **लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :**

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

(साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) एवं 8.03 देखें)

6.1.3 **आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :**

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचलन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या अधिक दिन गाड़ी संचलन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे। (सहायक नियम 5.01(19) एवं परिचालन नियमावली 3003 देखें)

6.2 **लाइन क्लीयर देने की शर्तें :**

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टैन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

म०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

म०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

म०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

(घ) अप गाड़ी के मामले में गेट सं० 10/सी तथा 9/ए पर कार्यरत गेटमैनो को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(सामान्य एवं सहायक नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग)(II) तथा सहायक नियम 8.03 (i), (ii) (iii) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

विचलन-

सामान्य नियम 3.40(i)9b) के अनुसार गाड़ियों के आगमन की स्थिति में पर्याप्त दूरी समान्यतः रुकने के स्थान से मापी गयी है जैसा कि-

(क) लाइन संख्या 1 व 3 के लिए अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-6 व एस-8 से।

(ख) लाइन संख्या 1 व 3 के लिए डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 व एस-9 से।

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई रनिंग लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें।

(सहायक नियम 5.19(1) (a) (ii) (b) (ii), (2)(i)(ii)(iii), (5)(ii)(f) देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो सामान्य नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कॉमन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख

किया जाना :- कोई नहीं

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

(क) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।

(ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख काँटों वॉछित लाइन के लिये सेट और पाशित है।

(ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, सम्मुख काँटों के आगे गाड़ी के सम्मुख पड़ने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।

(घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्लीयर संकेत उपलब्ध है।

(ङ) अप एवं डाउन गाड़ी लाइन सं० 1, 2 व 3 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय समपार फाटक संख्या 14/सी तथा डाउन गाड़ी के लाइन संख्या 1,2 या 3 पर आगमन के लिए ट्रैफिक समपार संख्या 14 को गेट अनुदेशो के अनुसार सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित होना चाहिये।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

6.3.1 **“आफ” किये गये सिगनल को पुनः “आन” करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व :-**
किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 **गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-**

(क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश/प्रस्थान की अनुमति नहीं नम्न प्रकार है:-

(i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन

और

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन

या

अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

(ii) अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन

और

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन

या

अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान

(iii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन

और

अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन

या

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान

(iv) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन

और

अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन

या

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

(ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के ब्रेक यान को एक दूसरे के सममुख करके क्रासिंग प्राधिकृत है।

(सहायक नियम 5.01(14) देखें)

6.5 **गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-**

(क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है

(ख) रुकने वाली डाउन गाड़ियों के सम्बन्ध में गेट सं० 14 ‘सी’ पर कार्यरत गेमेन का उत्तरदायित्व होगा कि वह गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TV को देखने के पश्चात गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन पर बताये। अप गाड़ी तथा कोई गाड़ी एल०वी०बोर्ड/ टेल लैम्प के संदर्भ में गाड़ी के अपूर्ण आने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर सक्षम कर्मचारी को भेजकर इन्टैक्ट रजिस्टर टी/1410 पर गार्ड से गाड़ी का पूर्ण आगमन रिकार्ड करायेगा। स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह गाड़ी के पूर्ण आगमन एवं उल्लंघन चिन्ह साफ होने के बारे में पूर्णया सन्तुष्ट नहीं हो जाये। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17(vii) देखें)

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :-

1. जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-
 - (क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से टोकन लेस ब्लाक यन्त्र पर आगमन अनुमति (लाइन क्लीयर) प्राप्त करें।
 - (ख) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बलितियों में लाल प्रकाश प्रकाशित नहीं जल रहा है।
 - (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
 - (घ) जब मार्ग सेट एवं पाशित हो जाये एवं पैनल पर सम्बन्धित संकेत उपलब्ध हो तथा अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 14 सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है, सुनिश्चित करके गेट नियन्त्रण बटन 551 लाकड स्थिति में दबा दिया गया है, जिससे फाटक संख्या 14 के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखाई देंगे जिससे फाटक संख्या 14 के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखाई देंगे। डाउन गाड़ी के मामले में इंजीनियरिंग समपार संख्या 10/सी व 9/ए पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित किया जाना भी सुनिश्चित करें।
 - (ङ) जाने वाली गाड़ी के लिए वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिए स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबाये।
 - (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः से हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
 - (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बलितिया जल जायेगी।
 - (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बलितिया जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।
 - (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बलितियां बुझकर लाल बलितियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बलितियां बुझ जाती हैं और सफेद बलितियां फिर से जल जाती हैं।
 - (ट) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
 - (ठ) रेलपथ परिपथ की विफलता अथवा रेलपथ बल्बों के फ्यूज़ होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
2. **प्रस्थान सिगनल 'आफ' करने की शर्तें**
 - (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिधर गाड़ी को भेजना है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
 - (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
 - (ग) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित साफ संकेत उपलब्ध है।
 - (घ) **अप** गाड़ी के मामले में गेट संख्या 14 सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है, सुनिश्चित करें कि गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 551 लाकड स्थिति में दबा दिया गया है जिससे फाटक संख्या 14 के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखायी देगा। **डाउन** गाड़ी के मामले में इंजीनियरिंग समपार संख्या 10/C व 9/ए पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित किया जाना भी सुनिश्चित करें।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना -

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पडने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.09 देखे।)

6.7 गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन थ्रू)

- (क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के अधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है।
- (ख) यदि यह आवश्यक हो कि गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 या 3 से बिना रुके नियमानुसार प्रतिबन्धित गति से सीधे जाये तो इसकी अनुमति नियमानुसार की प्रतिबन्धित गति से दी जा सकती है। होम सिगनल तथा प्रस्थान सिगनल को आफ कर देना चाहिए। तथापि प्रस्थान सिगनल आफ संकेत तभी धारण करेगा जब सम्बन्धित लाइन लाइन के बर्थिंग ट्रैक पर आ जाती है।
- (ग) स्टेशन से होकर सीधे जाने वाली गाड़ी को जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर सभी प्रकार की शंटिंग अवश्य बन्द कर दी जाये। अगल-बगल की लाइनों पर खड़े किसी भी वाहन/वैगन जो बिना इंजन के हों या इंजन से अलग हों, इनको सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित किया गया हो।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को "आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी कू को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा आफ साइड से भी संचालन की चौकसी की जानी चाहिये। (सहायक नियम 5.01(5) (i) से (vi) देखें)
- (ङ) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो प्लेटफार्म वाली लाइन से कोई गाड़ी सीधे नहीं जायेगी। (साधारण नियम 5.01 (14) (iv) देखे)

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति - काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39 (ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 लारियो, ट्रालियो तथा मोटर ट्रालियों के संचालन के लिये विशेष अनुदेश :

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जाये।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर देना चाहिये। गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 देखें।
- (घ) टोकेनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय।
7. **लाइन अवरुद्ध होना :-** साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा
- (क). स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।
- (ख) उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।
- (ग) चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
- (घ) जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।
- 7.1 **स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:-**जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।
- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खाडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्योरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्योरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

टिप्पणी :

1. बी0ओ0एक्स0, बी0ओ0बी0एस0, बी0ओ0आई0, बी0आर0एच0 तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी आवश्यक है :-

- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।

2. जहाँ शंटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियाँ उपयोगी रहेंगी :-

- (क) जब अकेले रोलर बीयरिंग लगेहुए स्टॉक की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संगठन गति प्रति घन्टा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ख) जब रोलर बीयरिंग लगे हुए एक साथ जोड़े में पाँच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संगठन गति प्रति घन्टा 2.4 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें ।

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
 - i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
 - ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों।
 - iii) जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो ।
 - iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति व शंटिंग चाबी दी जाय ।
- (ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग :** निम्न शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-
 - i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
 - ii) सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों।
 - iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
 - iv) चालक को टी/806 प्रपत्र पर शन्टिंग आदेश व शंटिंग चाबी दिया जाना चाहिये ।

8.2. **आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग :** (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बन्धित होम एवं अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कांटो तक शन्टिंग की अनुमति है ।
- (ख) बाह्यतम सम्मुख कांटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
 - होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों ।
 - सम्बन्धित होम सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
 - गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

8.3. **जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :**

- प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुए शन्टिंग की अनुमति है :-
- जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
 - सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
 - होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो ।
 - स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
 - चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति व शंटिंग चाबी दी जाये।

8.4.1. **शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :**

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल 'आफ' किये जाने के बाद नान आइसोलेटेड लाइनो पर शन्टिंग की अनुमति नहीं है। साधारण नियम 8.10 (2) देखें ।

8.4.2. **शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :**

8.4.2.1 साधारण एवं सहायक नियम 5.13 एवं 5.14 का अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी आने वाली गाड़ी के लिए यदि सिगनल आफ कर दिया गया है तो नान आइसोलेटेड लाइनो पर शंटिंग संचालन नहीं किया जायेगा।

8.4.2.2 शंटिंग के दौरान यातायात समपार फाटको को सड़क यातायात के विरुद्ध गेअ कार्य प्रणाली में निहित निर्देशो के अनुसार बन्द एवं लाक किया जायेगा।

8.4.2.3 शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगें-

- शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
- सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
- शंटिंग समाप्त होने के पश्चात वैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना।
- शंटिंग के दौरान शंट किये जा रहे लोड के साथ-साथ रहना तथा हाथ संकेत दिखाने से पूर्व कांटो की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना।

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.5. **स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :** कुछ नहीं ।

8.6. **आउटलेइंग साइडिंग की कार्य विधि :** कोई नहीं ।

9. असामान्य परिस्थितियाँ :(क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :

- (I)(अ) ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कंट्रोल टेलीफोन /अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।
(साधारण एवं सहा० नियम 14.13 से 14.22 एवं 14.25 तथा साधा० एवं सहा० नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

- (II)(ब) ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- 2.(अ) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ० सैट से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।
- 2.(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-
- (अ) वीएचएफ सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर पिछली तीन गाड़ियों का विवरण साथ में लाइन क्लीयर लेने का समय, प्राइवेट नम्बर तथा ब्लाक खण्ड अवरूद्ध एवं साफ होने का समय लिखा जाये ।
- (ब) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज साफ हो। वीएचएफ सैट का प्रयोग न किया जाये यदि आवाज में इन्डेक्शन या डिस्टरबैस हो या कम आवाज सुनाई पड़ रही हो ।
- (स) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है ।
- (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया जा सकता है। तत्पश्चात लाइन क्लीयर केवल खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री एसएम या सुपरवाइज़री स्टेमा० की उपस्थिति में लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय ।
- 2.(स) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा ।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड काँटों पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।

4(ख) **कैन्क हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-**

संचालन नियम के पैरा 4.1.6 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7 के अनुसार कार्य किया जायेगा।

4(ग) **कांटे ट्रेक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना:**

संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा 15 को देखें।

9.1 **संचार साधनों की पूर्ण विफलता :**

9.1.1. **संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-**

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 8 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रेक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन एवं बी०एस०एन०एल०फोन
- (ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,
- (च) वी० एच० एफ० सेट

9.102. **इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :**

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

9.1.3 **संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -**

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	

(आर०पी०मिश्रा)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिग्नल को “आन” स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फूलो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2. इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार ‘सशर्त लाइन क्लीयर टिकट’ टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षरत गाड़ी/गाड़ियों के लिए ‘सशर्त लाइन क्लीयर संदेश’ प्राधिकार टी/एफ 602 अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

टिप्पणी :

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार ‘सशर्त लाइन क्लीयर टिकट’ प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियाँ :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

- (ख) किसी भी तरह से संचार साधर फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- 9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति : कुछ नहीं।
- 9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :
- अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा।
- विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।
- 9.4. विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :
- 1) देवरनिया स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इंटिग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेंगे। उपर्युक्त आई०पी०एस० की मानीटरिंग के लिये सहायक स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियों बिजवल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिससे निम्न सूचनाये प्रदर्शित होंगी -
- 2) सामान्यतः छः हरी बत्ती, दो पीली, दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियां बुझी रहती है।
- 2.1 छः हरी बत्ती (जेनरेटर स्टार्ट करने के लिये) आई० पी० एस की बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट से कम होने पर जलती है, जो कि बैटरी वोल्टेज दो वोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती जाती है।
- 2.2 बैटरी वोल्टेज 110 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु आलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैट्री चार्ज की जानी चाहिये।
- 2.3 जनरेटर न चलने की दशा में बैट्री वोल्टेज कम होने पर दोनो पीली बत्तियां बुझती है तथा आपाल कालीन जनरेटर स्टार्ट आलार्म आता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।
- 2.4 जेनरेटर स्टार्ट करने के लिये जेनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जेनरेटर हैण्डल के माध्यम से डी०जी० सेट चलाया जायेगा।
- 3) इस स्टेशन पर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था सामान्यतया आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति की विफलता के कारणों को दूर कर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था को सामान्य किया जा सकेगा।
- (अ) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्जओवर स्विच "ए" जो सामान्य स्थिति में सदैव वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति (कामर्शियल पावर सप्लाई) की सरफ लगा रहेगा को जेनरेटर साइड में लगा देंगे।

- (ब) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जेनरेटर सं० 1 एवं जनरेटर सं० 2 लगे हैं। जेनरेटर कक्ष में जेनरेटर चेन्जओवर स्विच (बी) लगा है जो सामान्यतः बीच में रहता है। जेनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुये जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।
- (स) सामान्यतया: स्टेशन मास्टर जेनरेटर सं० 1 को चालू करेगा। इसके विफल होने पर जनरेटर सं० 2 का प्रयोग करेगा।
- (द) आई०पी०एस० अधिक अवधि तक विफल रहने पर जेनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 4-4 घंटे के अन्तराल में बदल-बदल कर चलाये।
- 4) जब कर्मशियल सप्लाई आ जाये तो स्विच "ए" को कर्मशियल साइड की तरफ बदल कर लगा दे और स्विच "बी" को मध्य स्थित में कर दे तथा जनरेटर को बंद कर दिया जाये।
- 5) जेनरेटर में डीजल आयल जब भरा जाये तो स्टेशन मास्टर आयल लाग बुक में इसका प्रविष्टि तुरन्त करे। कार्यरत स्टेशन मास्टर भी डीजल जेनरेटर के उपयोग का प्रविष्टि लाग बुक में अवश्य करें।
- 6) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रतिदिन डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उससे सम्बन्धित परीक्षा का उल्लेख लाग बुक में करेंगे। स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर निम्न प्रारूप पर डीजल तेल के उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटों के साथ रखेंगे।
- (क) **व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :**

क्रम संख्या	दिनांक	गाड़ी संख्या	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जेनरेटर रनिंग			टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	चालूकरने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (ख) **डीजल का उपयोग :**

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जेनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल आयल की कुल खपत	शेष डीजल आयल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

- 7) **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य -**

आई०पी०एस० मानीटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखे एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेगे तथा रिले अकार्यशील भी हो जायेगे।

- 9) **आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि -**

- (अ) आई०पी०एस० के फेल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लियर देने अथवा किसी अन्य गाडी का परिचालन करने से पहले यह भंली भांति सुनिश्चित कर ले कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाडी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।
- (ख) यदि लाइन क्लियर देने के पश्चात पिछले स्टेशन से गाडी चल चुकी है तथा किसी कारण वश गाडी की दिशा में पडने वाले सिगनल की रोशनी बुझ चुकी है तो स्टेशन मास्टर किसी सक्षम कर्मचारी को हाथ संकेत देने के लिये प्रतिनियुक्त करेगा तथा बुझे हुये सिगनल के नीचे से आने वाली गाडी के चालक को देने के लिये टी-369(3बी) भेजेगा जो गाडी को नियमानुसार पायलट करके लायेगा।

(आर०पी०मिश्रा) (अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

- (क) भोजीपुरा छोर : दिन एवं रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।
- (ख) बहेड़ी छोर : दिन एवं रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-4 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर : परिशिष्ट "ड" देखें।12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम :

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13. परिशिष्टों की सूची :

परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन

परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति

परिशिष्ट "ग" टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

परिशिष्ट "घ" गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य

परिशिष्ट "ड" स्टेशन के आवश्यक उपस्कर

परिशिष्ट "च" डी०के०स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

परिशिष्ट "छ" विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय।

(आर०पी०मिश्रा) (अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर /48

देवरनिया

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।
- (घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. **परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :**

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचालन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मर्दों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
5. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालकों को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कॉटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

3. **गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य**

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(क) गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. कॉटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. यदि आवश्यक हो, तो अनुमुख कॉटों के पास रहकर रक्षित करना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-
 - i) सिगनल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :- जब कॉटें, कॉटेवालेँ द्वारा प्रचालित होते है, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

परिशिष्ट “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

1. हाथ सिगनल बत्ती H.S.Lamp - 04
- 02 के०आयल गेट सं० 11/c के लिए
2. हाथ सिगनल झण्डी - 06 हरी तथा 7 लाल
3. पटाखा सिगनल - 50
4. सुरक्षा जंजीरे - 04 तालो सहित
5. क्लैम्प - 06 तालो सहित
6. अग्निशामक यन्त्र(DCP Type) - 02
7. फायर बकेट - 06
8. प्राथमिक चिकित्सा बाक्स - 02
9. लकड़ी के गुटके - 04

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

1

संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

संचालन नियम सं० इज्जत/48

देवरनिया

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

